


राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग
(अनुभाग-1)

विषय:- विभिन्न विभागों में सलाहकारों की नियुक्ति के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत इस विभाग के समसंख्यक अशा.टीप. दिनांक 03.05.2019 द्वारा सभी विभागों को भविष्य में विशेषज्ञता प्राप्त सलाहकारों की नियुक्ति इस विभाग के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय के अनुमोदन पश्चात ही करने हेतु लिखा गया था। उक्त अशा.टीप. को तुरंत प्रभाव से प्रत्याहरित (withdraw) किया जाता है। सभी विभागों में सलाहकारों की नियुक्ति पूर्व की भांति ही राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता नियम, 2013 के प्रावधानों एवं सामान्य वित्तीय लेखा नियमों में प्रदत्त सक्षमता अनुसार सलाहकारी सेवाओं का उपापन संस्था द्वारा ही किया जाना सुनिश्चित करावे।

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।



(अरुण प्रकाश शर्मा)

उप शासन सचिव




समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/
प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव

अशा.टीप. प. 20(4)प्रसु/सम/अनु-1/2019

जयपुर, दिनांक:- 15.11.2019

प्रतिलिपि:-प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।



उप शासन सचिव

